

सरबरक

(कायदा 129)

25/10/23
18/12/23
10/11

{General Rules (Civil), Rule 129 Appendix "B", Form No. 8}

1. नाम अदालत : जिला कलक्टर, बांसवाडा
2. किस्म मुकदमा अपील अंतर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम
3. उनवान

| प्रार्थी :- अपीलान्ट | | अप्रार्थी :- रेषपोडेण्ट |
|---|------|--|
| 1. श्रीमती अफरोजा पत्नी श्री ताहेर खान, निवासी लैयबपुरा, परतापुर, तहसील गढी, जिला बांसवाडा (राज.) | बनाम | 1. श्री हंसराजसिंह चौहान पिता रणजीतसिंह चौहान, निवा चिरावालागढा, तहसील गनोडा, जिला बांसवाडा। 2. तहसीलदार तहसील गढी। |

2. नम्बर व सन् मुकदमा 05 / 2023
3. तारीख दायर 03-10-2023
4. तारीख फैसला
5. तारीख दाखिल होने महाफिजखाना _____
6. अपील या निगरानी की तारीख फैसला _____
7. किस्म सिल या हिस्सा _____
8. किस्म रेकर्ड _____
9. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया _____
10. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया _____
11. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया _____
12. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है _____
(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया _____




तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी हुए

14-12-2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता, अपीलांट, रेस्पोंडेंट सं.1 एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता व अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आपसी राजीनाम हो जाने से अपीलांट रेस्पोंडेंट के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए अपील विथड्रॉ करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विथड्रॉ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील विथड्रॉ करने की स्वीकृति दी जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956, इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)